राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई–5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल–462016 (म.प्र.)
बेवसाईट– http://www.mpseiaa.nic.in
दूरभाष नं. – 0755–2466970, 2466859
फैक्स नं. – 0755–2462136

No: 2814 / SEIAA/2021
Date: 12/1/22

प्रति,

कलेक्टर,
जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय :– प्रकरण क्र. 8694 / 2021 : परियोजना प्रस्तावक श्रीमती पारस डागा पत्नि श्री विजय डागा, निवासी– मकान नं. 26, मारवाड़ी रोड़, बैंक ऑफ इंडिया के सामने, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, एरिया 4.0 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, खसरा 239 भाग, ग्राम मालिखेड़ी, तहसील हुजूर, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणी स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण पर 699वी SEIAA बैठक दिनांक 29.12.2021 में चर्चानुसार निम्नानुसार निर्णय लिया गया ....

" राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 536वी बैठक दिनांक 17.12.2021 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति नहीं दिये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण से संबंधित परियोजना प्रस्तावक/आरक्यूपी/पर्यावरण सलाहकार द्वारा प्रस्तुत हस्ताक्षरित व अभिप्रमाणित दस्तवेजों के आधार पर एवं SEAC की 536वीं बैठक दिनांक 17.12.2021 एवं 518वी बैठक दिनांक 08.10.2021 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :–

हालही में दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 25.11.2021 एवं 26.11.2021 को भोपाल जिले के मालीखेडी क्षेत्र में वृहद स्तर पर अवैध उत्खनन के समाचार प्रकाशित हुए थे। उक्त प्रकरण भी मालीखेडी क्षेत्र में स्वीकृत खदान की पर्यावरण स्वीकृति से संबंधित है। पर्यावरण स्वीकृति जारी किये जाने के पूर्व जिला स्तर पर एक दल गठित कर स्थल निरीक्षण करवाते हुए यह सुनिश्चित किया जाना उचित होगा कि उक्त प्रस्तावित खदान क्षेत्र में वगैर पर्यावरण स्वीकृति के अवैध उत्खनन हुआ है अथवा नहीं। जॉच दल से 15 दिवस की अवधि में प्रतिवेदन प्राप्त कर SEIAA को वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने हेतु जिला कलेक्टर भोपाल को सूचित किया जाये।"

उपरोक्त निर्णयानुसार जिला स्तर पर एक दल गठित कर स्थल निरीक्षण करवाते हुए यह सुनिश्चित किया जाना उचित होगा कि उक्त प्रस्तावित खदान क्षेत्र में वगैर पर्यावरण स्वीकृति के अवैध उत्खनन हुआ है अथवा नहीं की वस्तुस्थिति से 15 दिवस अवगत कराने का कष्ट करें।

(श्रीमन् शुक्ला)
सदस्य सचिव

क्र.. 2815 / SEIAA / 2021 भोपाल दिनांक 12/1/22

प्रतिलिपि :–

1. श्रीमती पारस डागा पत्नि श्री विजय डागा, निवासी– मकान नं. 26, मारवाड़ी रोड़, बैंक ऑफ इंडिया के सामने, जिला भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचानार्थ।

सदस्य सचिव